न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 71/2023 तारीख दायर :–20.10.2022 दिनांक निर्णय :–26.06.2023

पटवारी हल्का दुब्बी तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

1. लीलाराम पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी ग्राम प्रतापुरा तहसील तहसील राजगढ जिला अलवर
2. कालूराम पुत्र ग्यारसा जाति मीना निवासी ग्राम प्रतापुरा तहसील तहसील राजगढ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का दुब्बी द्वारा ग्राम थौसड़ा के आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 5.84 किस्म चारागाह के भाग 0.30 पर बाजरे की काश्त एंव 0.08 है0 भूमि पर पक्का मकान निर्माण कर कुल किता 0.38 है0 भूमि पर श्री लीलाराम, कालूराम पुत्रान ग्यारसा जाति मीना निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवृत होकर प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण नियत सुनवाई तारीख पेशी को उपस्थित रहे। गैरसायलान द्वारा नोटिस जवाब पेंश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायलान द्वारा नोटिस जवाब में साक्ष्य–सबूत पेश करने हेतु समय दिये जाने का अंकन किया है, जिसे स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को समय दिया गया किन्तु समय दिये जाने के बावजूद गैरसायलान अनुपस्थित रहे। गैरसायल के द्वारा कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं करने के कारण इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

अतः आदेश है कि:–

अतिक्रमी श्री लील्याराम, कालूराम पुत्रान ग्यारसा जाति मीना निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम थौसड़ा के आराजी खसरा नम्बर 01 रकबा 5.84 किस्म बंजड चारागाह के भाग 0.38 है0 राजकीय चारागाह भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.00 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। पटवारी हल्का दुब्बी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कब्जे राज ली गई काश्त को खुर्द–बूर्द कर दिया गया है जिसे शामिला पत्रावली किया गया है। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों थानाराजाजी एंव पटवारी हल्का दुब्बी को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 26.06.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 34 पर पे. रु 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार